2025:CGHC:21785

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 238/2017

आदेश सुरक्षित करने का दिनाँक 05/05/2025

आदेश उद्घोषित करने का दिनाँक 09/05/2025

भूपेन्द्र कुमार धनकर, पिता श्री मनहरण लाल धनकर, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– ग्राम गौरभट, तहसील आरंग, ज़िला–रायपुर, छत्तीसगढ़

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1–छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा– सचिव स्कूल विभाग शिक्षा, महानदी भवन, नया मंत्रालय, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2– आयुक्त, रायपुर, संभाग रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ

3– संचालक, पंचायत विभाग, संचालनालय, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

4– कलेक्टर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

6– जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

7– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अभनपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से:		श्री भरत लाल डेम्ब्रा, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4, 6 व 7 की ओर से:		श्री रतन पुस्ती, शासकीय अधिवक्ता, सह श्री रूहुल अमीन, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से	:	श्री आशीष शुक्ला, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री सिद्धांत तिवारी, अधिवक्ता

एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल

सीएवी आदेश

1. इस याचिका के आधार पर, याचिकाकर्ता अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 20/क–89/2016–17 में दिनांक 13/12/2016 (अनुलग्नक पी/12)को पारित आदेश की वैधता एवं औचित्य को प्रश्नगत किया है, जिसमें, विद्वान आयुक्त ने अपर कलेक्टर, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 08–क/89(क)(15)/2015–16 में दिनांक 17/05/2016 (अनुलग्नक पी/10)को पारित आदेश की पुष्टि करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया है एवं फलस्वरूप उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

2. याचिका में किए गए तर्कों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत,अभनपुर द्वारा दिनांक 21/06/2005 (अनुलग्नक P/2) को शिक्षाकर्मी, वर्ग–III के पद पर दिनांक नियत नियमों और शर्तों के अधीन को नियुक्त किया गया था । उसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 (एतस्मिन पश्चात जिसे "नियम, 1997" संदर्भित किया जाएगा) के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार की गई थी एवं तदनुसार,उसे शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सेमरा में पदस्थ किया गया है। उन्होंने दिनांक 27/06/2005 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया और 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 26/12/2007 (अनुलग्नक P/3) के आदेश द्वारा स्थायी कर दिए गए। यह भी प्रतीत होता है कि अपनी नियुक्ति के समय, याचिकाकर्ता ने तहसीलदार, आरंग द्वारा जारी दिनांक 22/09/2004 (अनुलग्नक R/1) का अपना अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। यह भी प्रतीत होता है कि जिला पंचायत द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में अपने पत्र दिनांक 03/03/2014 के अनुसार, याचिकाकर्ता की सेवाएँ उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक P/1) के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई हैं। उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी,आरंग द्वारा दिनांक 06/06/2015 (अनुलग्नक पी/7)द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 87–ख/121/2013–14 में पारित आदेश द्वारा उलट दिया गया, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील थी। यह भी प्रतीत होता है कि उसके सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन किया है, परंतु उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर ने अपने आदेश दिनांक 28/08/2015 (अनुलग्नक P/8) द्वारा उसे नियुक्ति लेने से मना कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कथन किया गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (एतस्मिन पश्चात जिसे "अधिनियम, 1993" संदर्भित किया जाएगा) के अधीन,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उक्त अपील की सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं थे और इसलिए, वह बहाल किए जाने के हकदार नहीं हैं।

3. यह भी प्रतीत होता है कि तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने अपने कथित सेवा समाप्ति आदेश, दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक P/1) को प्रश्नगत करते हुए अधिनियम, 1993 के तहत निर्धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रावधानों के अनुसार अपर कलेक्टर,रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। परंतु अपील प्रकरण क्रमांक 08–क/89(क)(15)/2015–16 में दिनांक 17/05/2016 के आदेश (अनुलग्नक P/10) द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद, याचिकाकर्ता स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा एवं फलस्वरूप, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा की गई उसकी सेवाओं की समाप्ति की पुष्टि की गई और, उसके विरुद्ध की गई अपील को अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 20/क–89/2016–17 में दिनांक 13/12/2016 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/12) द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरत लाल डेम्ब्रा का तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर ने याचिकाकर्ता से कभी भी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मांग नहीं की, और न ही कथित समाप्ति आदेश दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक P/1) पारित करने से पूर्व कोई 'कारण बताओ सूचना' जारी किया और इसलिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित कथित सेवा समाप्ति आदेश, कानून की दृष्टि से अनुचित हैं। नियम, 1997 के नियम 9 का संदर्भ देते हुए, यह भी तर्क किया गया है कि चूँकि याचिकाकर्ता एक स्थायी सेवक था,अतः दीर्घ शास्ति अधिनिर्णीत करने हेतु, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगी और इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश,उसकी सेवा समाप्ती के अधिकारिता से बाहर होगा। अतः उनका तर्क है कि अधिकारिता से बाहर के प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्ती का आक्षेपित आदेश अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रत्युत्तर में,उत्तरवादी/राज्य,सह उत्तरवादी क्रमांक 5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा यह कथन किया गया है कि चूँकि याचिकाकर्ता पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सेवाएँ समाप्त करने का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। इस आधार पर आगे विरोध किया गया है कि जिला पंचायत, रायपुर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि याचिकाकर्ता ने कूटरचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कथित नियुक्ति आदेश प्राप्त किया है और इसलिए उसे दिनांक 01/02/2014 का सूचना (अनुलग्नक R/2) जारी किया गया था और जिला पंचायत द्वारा दिनांक 07/02/2014 को जारी निर्देशानुसार, याचिकाकर्ता के अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की वैधता का सत्यापन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अभनपुर से कराया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20/02/2014 (अनुलग्नक R/3) में पाया कि कथित नियुक्ति आदेश जारी होने तक उसकी

अवधि समाप्त हो चुकी थी।। आगे यह तर्क है कि जिला पंचायत, रायपुर ने उक्त रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर को अपने पत्र दिनांक 03/03/2014 द्वारा उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और तदनुसार, दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक P/1) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं और, अपर कलेक्टर, रायपुर और अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 17/05/2016 (अनुलग्नक P/10) और 13/12/2016 (अनुलग्नक P/12) के आदेशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। अतः उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा का यह तर्क है कि सुनवाई का पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त की गई हैं एवं इस प्रकार ऐसी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और इस याचिका के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. पक्षकारों द्वारा किए गए कथनों के सरल परीशीलन से यह प्रतिबिम्बित होता है कि याचिकाकर्ता को शिक्षाकर्मी,वर्ग– III के पद पर, दिनांक 21/06/2005 (अनुलग्नक P/2) के आदेश द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा निर्धारित कुछ नियमों व शर्तों के अधीन नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने फलस्वरुप दिनांक 26/12/2007 (अनुलग्नक P/3) के आदेश द्वारा स्थायी किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उसकी नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक P/2) में उल्लिखित शर्त क्रमांक 11 इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है, जो निम्नानुसार है:–

> "नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच प्रावधानिक रूप से नियुक्ति के समय की गयी है यदि बाद भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश में लाये जातें है तो नियुक्त शिक्षा कर्मी की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किया जावेगा, तथा विचारोपरान्त बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जावेगी।"

9. उपरोक्त शर्त के अनुसार, नियुक्ति आदेश जारी करते समय अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अनंतिम सत्यापन किया गया है और यदि बाद में कोई प्रमाण पत्र कूटरचित पाया जाता है या कोई विसंगति पाई जाती है, तो नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किया जाएगा और उचित विचारोपरान्त, पूर्व 'कारण बताओ सूचना' जारी किए बिना समाप्त कर दी जावेगी।

10. वर्तमान प्रकरण में, कथित नियुक्ति आदेश दिनांक 21/06/2005 (अनुलग्नक पी/2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा, अधिनियम, 1993 के अंतर्गत विहित नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, प्रमाण पत्रों के विधिवत सत्यापन के उपरांत जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अस्थायी जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है, जिसने तदनुसार दिनाँक 27/06/2005 (अनुलग्नक पी/4) को शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सेमरा में अपनी सेवाएँ ग्रहण की थीं और तत्पश्चात, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरांत, दिनांक 26/12/2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा स्थायी कर दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति आदेश की तिथि से निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, परंतु उत्तरवादी क्रमांक 5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। जिला पंचायत, रायपुर द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक P/1) के आदेशानुसार, जिला पंचायत, रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 03/03/2014 द्वारा, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की वैधता, जो कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आधारित है, उसकी नियुक्ति के समय समाप्त हो चुकी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस समय यह देखा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता, जिसे दिनांक 26/12/2007 (अनुलग्नक पी/3) के आदेश द्वारा स्थायी किया गया था, स्थायीकरण के बाद 09 वर्ष से अधिक की अवधि तक अपनी सेवाएँ पूर्ण कर चुका था जब उसे उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। उक्त समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी/1) के सरल परिशीलन से ज्ञात होता है कि यह जिला पंचायत, रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 03/03/2014 द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में पारित किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा जारी दिनांक 01/02/2014 (अनुलग्नक R/2) अभिलेख पर प्रस्तुत 'कारण बताओ सूचना' से ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिकाकर्ता को जारी किया गया था जिसमें उसे 05/02/2014 को अपने नियुक्ति आदेश और जाति प्रमाण पत्र सहित संबंधित प्रमाणपत्रों सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, परंतु, इसके सरल परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि यह याचिकाकर्ता को जारी किया गया प्रतीत होता है, किंतु न तो याचिकाकर्ता द्वारा इसे प्राप्त करने के संबंध में कोई समर्थन और न ही इस आशय की कोई पावती अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है ताकि यह दर्शाया जा सके कि कथित 'कारण बताओ सूचना' उसे दिया गया था।

12. जो भी हो, उत्तरवादीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट (अनुलग्नक R/3) दिनांक 20/02/2014 से यह ज्ञात होता है कि यह उत्तरवादी क्रमांक 5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा 19/02/2014 को जारी निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी। इस प्रकार, यह एक ही दिन में पूरी कर ली गई, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया और

केवल कथित जाँच रिपोर्ट के आधार पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा दिनांक 07/07/2014 के आदेश (अनुलग्नक P/1) के तहत उसकी सेवा की कथित समाप्ति कर दी गई और अपर कलेक्टर, रायपुर के साथ–साथ अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 07/05/2016 और 13/12/2016 के आदेशों के अन्तर्गत इसकी पुष्टि की गई। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की कथित नियुक्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई है और इसलिए, इसे कानून की दृष्टि में संधारणीय नहीं माना जा सकता।

13. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को दिनांक 26/12/2007 (अनुलग्नक पी/3) के आदेश द्वारा स्थायी किया गया है,यद्यपि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त करके उसपर दीर्घ शास्ति अधिरोपित गई है। अतः, इस समय यह प्रश्न उठता है कि,

> "क्या उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने जैसी दीर्घ शास्ति दी जा सकती है? "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ता को शिक्षाकर्मी, वर्ग– III के पद पर, दिनांक 21/06/2005 के आदेश (अनुलग्नक P/2) के तहत नियुक्त किया गया था। नियम, 1997 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, जिसे राज्य सरकार ने अधिनियम, 1993 की धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 70 की उपधारा (1) के सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया था। नियम, 1997 का नियम 9, जो इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है, निम्नानुसार प्रावधान करता है:–

> **"9. अनुशासन व नियंत्रण:–** शिक्षाकर्मी यथास्थिति ज़िला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे। दीर्घ शास्ति के लिए यथास्थिति ज़िला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति तथा लघु शास्ति के लिए पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।"

15. उपर्युक्त प्रावधानों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि शिक्षाकर्मी, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे और यथास्थिति, किसी स्थायी सेवक को दीर्घ शास्ति के लिए जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति, और लघु शास्ति के लिए संबंधित पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे। यद्यपि, इस प्रकरण में, याचिकाकर्ता, जो कि

जनपद पंचायत, अभनपुर का स्थायी सेवक है, की सेवाएँ उत्तरवादी क्रमांक 5–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक P/1) द्वारा उस पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए सेवा समाप्त कर दी गई हैं और,यहाँ तक कि उपरोक्त विशिष्ट प्रावधानों की जाँच किए बिना ही इसकी पुष्टि अपर कलेक्टर, रायपुर और अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 17/05/2016 और 13/12/2016 के तहत क्रमशः की गई है।

16. उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, दीर्घ शास्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति होगी और इसलिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति का दीर्घ शास्ति अधिकारिता से पूर्णतः परे है जो अधिकारिता विहीन न्यायालय के सिद्धांत को आकर्षित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. फलस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 20/क–89/2016–17 में दिनांक 13/12/2016 (अनुलग्नक पी/12) को पारित आक्षेपित आदेश, जिसमें अपर कलेक्टर, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 08–क/89(क)(15)/2015–16 में दिनांक 17/05/2016 (अनुलग्नक पी/10) को पारित और उत्तरवादी क्रमांक 5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अभनपुर द्वारा दिनांक 07/07/2014 (अनुलग्नक पी/1) को पारित आदेश की पुष्टि की गई है, को एतद्द्वारा अभिखण्डित किया जाता है और याचिकाकर्ता को, तदनुसार, परिणामी लाभों के लिए पुनः बहाल किया जाता है सिवाय कि उसे उसकी सेवा में पूर्ण पूर्व–वेतन और भत्तों के साथ बहाल किया जाता है। पूर्ण पूर्व–वेतन और भत्ते के प्रश्न पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल नियमों के नियम 54 के अनुसार इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर विचार किया जाएगा।

18. उपरोक्त टिप्पणियों सहित याचिका स्वीकार की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(संजय एस. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur